

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**  
 वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005  
 (दूरभाष नं.:—0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 10991/2013)/अलेसे-III/ 524

दिनांक :- 27-3-2023

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र. सं. | लिंक नं. | नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II | नाम परीक्षा                                      | आयोजक संस्था                                                      | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय        |
|----------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2        | 3                             | 4                                                | 5                                                                 | 6                                |
| 1        | 10991    | श्री जगदीश चाण्डक,            | UGC NET-<br>Dec. 2022<br>SET-2023<br>ए.बी.एस.टी. | NTA<br>गुरु गोविन्द सिंह<br>जनजातीय<br>विश्वविद्यालय,<br>बांसवाडा | कार्यालय कोषाधिकारी,<br>बीकानेर। |

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो उक्त स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और उस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 27-3-2023

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 10991/2013)/अलेसे-III/ 524

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय कोषाधिकारी, बीकानेर।
2. श्री जगदीश चाण्डक, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कोषाधिकारी, बीकानेर।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)